



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092020-221494
CG-DL-E-02092020-221494

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2636]
No. 2636]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2020/भाद्र 10, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2020/BHADRA 10, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2020

का.आ. 2967(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1913 (अ) दिनांक 17.06.2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 162A के कि.मी. 12.467 से कि.मी. 13.390 (फतेहनगर - सनवाड़ खण्ड पर चार लेन आर.ओ.बी. LC-43X के निर्माण आदि) तक के भूखण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 24.06.2020 " को "राजस्थान पत्रिका " और "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 162A के कि.मी. 12.467 से कि.मी. 13.390 (फतेहनगर - सनवाड़ खण्ड पर चार लेन आर.ओ.बी. LC-43X के निर्माण आदि) तक के भूखण्ड के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: उदयपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मावली				
	गांव का नाम: बासनी माफ़ी				
1	1008/908	सरकारी(नगर पालिका)	चारागाह	0.027	सरकारी नगर पालिका (१००८/९०८)
2	1142/851	निजी	आबादी	0.0369	नगरपालिका (विक्रय पत्र और पट्टा अनुसार) श्री गणपत लाल पिता परसराम स्वर्णकार नि. फतेहनगर 200 *60 = 12000 sq फीट में से 205 वर्ग मी. तथा श्रीमती कमला मेहता पत्नी श्री डी एस मेहता नि. मकान न. 61 महावीर नगर हिरण मगरी से न. 4 उदयपुर 80 *60 =4800 sq फीट में से 82 वर्ग मी. अवास होती है शेष अवास भूमि 82 वर्ग मी. के दस्तावेज मोके से उपलब्ध नहीं होने से नगर पालिका से लेना उचित रहेगा ()
3	1144/809	सरकारी(नगर पालिका)	आबादी	0.03	सरकारी (नगर पालिका) ()
4	1231/908	सरकारी(नगर पालिका)	आबादी	0.06	सरकारी (नगर पालिका) ()
5	809	सरकारी(नगर पालिका)	आबादी	0.012	सरकारी (नगर पालिका) ()

6	812	सरकारी(नगर पालिका)	चारागाह	0.006	सरकारी (नगर पालिका) ()
7	814	सरकारी(नगर पालिका)	नाला	0.0025	सरकारी नगर पालिका ()
8	815	सरकारी(नगर पालिका)	चारागाह	0.04	सरकारी (नगर पालिका) ()
9	848	सरकारी(नगर पालिका)	गैर मु. पाल	0.014	सरकारी (नगर पालिका) ()
10	903	सरकारी(नगर पालिका)	रास्ता	0.004	सरकारी (नगर पालिका) ()
11	908	सरकारी(नगर पालिका)	आबादी	0.027	सरकारी (नगर पालिका) ()
	गांव का नाम: सनवाड़				
12	2826	निजी	बारानी -III	0.006	नानालाल पिता हीरालाल भील ()
13	2869	निजी	आबादी	0.0088	नगरपालिका (विक्रय पत्र और पट्टा अनुसार) श्री श्यामलाल मुंदड़ा पिता मोहनलाल मुंदड़ा नि. फतेहनगर के 100 *30 = 3000 sq फीट में से 197 वर्ग फीट अर्थात् 18 वर्ग मी. और सुनील कुमार पिता श्याम लाल मुंदड़ा नि. फतेहनगर के 3610 वर्ग फीट में 302 वर्ग फीट अर्थात् 28 वर्ग मी. शेष अवास भूमि 42 वर्ग मी. के दस्तावेज मोके से उपलब्ध नहीं होने से नगर पालिका से लेना उचित रहेगा ()
14	2874	निजी	बंजड़	0.0046	किशनलाल भेरूलाल पिता राहु हि. ब. नि. खरताना ()
15	2875	सरकारी(नगर पालिका)	बंजड़	0.008	सरकारी (नगर पालिका) ()
16	2876	निजी	बारानी -I	0.004	सुशीला पत्नी गोपाल लाल पालीवाल निवासी 10 जयश्री कॉलोनी धुलकोट

					उदयपुर ()
17	2877	सरकारी(नगर पालिका)	बाराणी -III	0.012	सरकारी (नगर पालिका) ()
18	6088/2876	निजी	बाराणी -I	0.004	जाकिर हुसैन सलीम मोहम्मद रफीक मोहम्मद पिता अमरुद्दीन, जमीला पत्नी अमरुद्दीन मुसलमान (रंगरेज़) खातेदार ()
19	6226/2876	निजी	बाराणी I	0.0084	डॉ दीप्ती दाधीच पति डॉ संजय पालीवाल नि. 10 जय श्री कॉलोनी धुलकोट उदयपुर ()
			कुल	0.3152	

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2019-20/46/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2020

S.O. 2967(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 1913(E) dated 17.06.2020**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the building of (R.O.B), Maintenance, management and operation of National Highway No. 162 A, on the stretch of the land from Km.12.467 to Km. 13.390 (four Lane R.O.B. at LC-43X on Fatehnagar -Sanwad Section) in Mavli Tehsil in the District of Udaipur in the State of Rajasthan.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Rajasthan Patrika**” and “**Dainik Bhaskar**” both dated **24.06.2020**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling in the stretch of land from Km. 12.467 to km. 13.390 (four Lane R.O.B. at LC-43X on Fatehnagar -Sanwad Section) on National Highway No. 162A in the District of Udaipur in the State of Rajasthan.

State: RAJASTHAN			District: UDAIPUR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Mavali				
	Village: Basni Mafi				
1	1008/908	Government(Nagar Palika)	Charagah	0.027	Government (Nagar Palika) 1008/908
2	1142/851	Private	Aabadi	0.0369	Nagarpalika (sale deed and Patta) Sh. Ganpat Lal s/o Parasram Swarnkar, fatehnagar 200 * 60 = 12000 sq feet (205 sq mtr.) and Smt. Kamla Mehta w/o Shree D.S. Mehta Rs. House No 61, Mahaveer nagar Hiranmagri Sec. 4 Udaipur 80 * 60 = 4800sq feet (82 sq mtr.) and rest land of municipal councils record.
3	1144/809	Government(Nagar Palika)	Aabadi	0.03	Government (Nagar Palika)
4	1231/908	Government(Nagar Palika)	Aabadi	0.06	Government (Nagar Palika)
5	809	Government(Nagar Palika)	Aabadi	0.012	Government (Nagar Palika)
6	812	Government(Nagar Palika)	Charagah	0.006	Government (Nagar Palika)
7	814	Government(Nagar Palika)	Nala	0.0025	Government (Nagar Palika)
8	815	Government(Nagar Palika)	Charagah	0.04	Government (Nagar Palika)
9	848	Government(Nagar Palika)	Gair Mu. Pal	0.014	Government (Nagar Palika)
10	903	Government(Nagar Palika)	Rasta	0.004	Government (Nagar Palika)
11	908	Government(Nagar Palika)	Aabadi	0.027	Government (Nagar Palika)
	Village: Sanwad				
12	2826	Private	Barani-III	0.006	Nana Lal Ji s/o Heera Lal ji Bheel, Fatehnagar
13	2869	Private	Aabadi	0.0088	Nagarpalika(sale deed and Patta)Shyam Lal son of Mohan Lal Mundada, Fatehnagar

					100*30=3000 sq Feet from its 197 sq feet (18 sq mtr.) and Sunil Kumar S/o Shyamlal Mundra Rs. Fatehnagar 3610 sq feet from its 302 sq feet (28 sq mtr.) and rest 42 sq mtr. is from municipal councils record.
14	2874	Private	Banjad	0.0046	Kishanlal, Bherulal S/o Radu E.S. Khartana
15	2875	Government(Nagar Palika)	Banjad	0.008	Government (Nagar palika)
16	2876	Private	Barani-I	0.004	Sushila W/o Gopal Lal Paliwal Niwasi 10 Jayshree Colony Dhulkot Udaipur
17	2877	Government(Nagar Palika)	Barani-III	0.012	Government (Nagar Palika)
18	6088/2876	Private	Barani-I	0.004	Jakir Hussain, Salim Mohammad Rafik Mohammad son of Ameruddin, Jamila W/o Ameruddin musalmaa (rangrez) khatedaar
19	6226/2876	Private	Barani I	0.0084	Dr. Dipti Dadhich W/o Dr. Sanjay Paliwal 10 Jay Shree Colony, Dhulkot, Udaipur
			TOTAL	0.3152	

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2019-20/46/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.